



केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नजदीक पुराना जे न यू कैंपस,
नई दिल्ली -110067

संचित संख्या: CICOM/R/2019/00663

दिनांक : 12.09.2019

सेवा में

विषय :- RTI Act, 2005 के तहत सूचना प्रदान करना.

महोदय,

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपका आवेदन दिनांक 27.08.2019, इस रजिस्ट्री को ऑनलाइन सुविधा आरटीआई एमआईएस के माध्यम से दिनांक 06.09.2019 को संख्या CICOM/R/2019/00663 के तहत अपीलार्थी को सूचना प्रदान करने हेतु अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हुआ। जिसका उत्तर निम्नानुसार है:-

आपको सूचना प्रदान कराने हेतु I/C (डाक अनुभाग), custodian of information, से सहायता मांगी गई। उनके द्वारा प्रदान की गई जानकारी जो कि self explanatory है अतः उस पत्र दिनांक 12.09.2019 को (in original) सलंगन किया जाता है।

यदि आप इस जबाब से संतुष्ट नहीं हैं तो आप 30 दिनों के अन्दर प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील कर सकते हैं। प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम व पता इस प्रकार है:- श्री पियूष अग्रवाल, प्रथम अपीलीय अधिकारी, कमरा न. 105-ए केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, नजदीक पुराना जे न यू कैंपस, नई दिल्ली 110067।

सलंगन : उपरोक्त (in original)

१

(कृष्ण अवतार तलवार)

उप सचिव/सी पी आई ओ

केन्द्रीय रजिस्ट्री -1

दूरभाष न. - 011-26186536

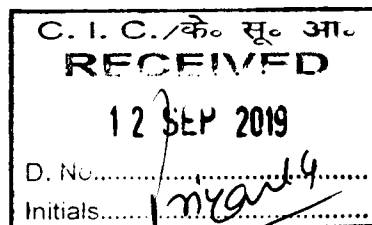
प्रतिलिपि : केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

Am
13/09/19

२

(कृष्ण अवतार तलवार)

उप सचिव/सी पी आई ओ



केंद्रीय सूचना आयोग
डाक अनुभाग

File No.3/1/2018/डाक अनुभाग

Date 12-09-2019

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ की धारा ५(४) के अंतर्गत सहायता

महोदय,

आपके पत्र संख्या CICOM / R / 2019/00663 / CR-I दिनांक 11-09-2019 के संदर्भ में।

2 आयोग के सॉफ्टवेयर के अनुसार श्री के के गुप्ता, ए- 4/7, कृष्णा नगर, दिल्ली -110051 से कई पत्र प्राप्त हुए हैं। सुविधा मेमो में बताई गई कमियों को दूर करने के लिए उनमें से अधिकांश पत्र आवेदक को वापस कर दिये गए हैं। पत्र के भेजने की तारीख के आधार पर आयोग में कोई रिकॉर्ड मेन्टेन नहीं किया जाता है अतः श्री के.के. गुप्ता द्वारा भेजी गई एवं उपरोक्त आर.टी.आई. आवेदन में जिक्र की गई अपील/शिकायतों को चिन्हित करने हेतु यह अनिवार्य है कि हमें उन पत्रों/अपीलो/शिकायतों की तिथि उपलब्ध करवाई जाये। अतः दिनांक 23-05-2018 और 08-05-2019 को प्रेषित पत्रों एवं Rti में अन्य वर्णित अपील/शिकायत/पत्रों आदि की खोज करने के लिए, पत्रों की तिथि एवं अगर संभव हो तो पत्रों की प्रति अपीलकर्ता से मांगी जा सकती है ताकि अपीलकर्ता को सही जानकारी प्रदान की जा सके न कि अनुमान के आधार पर कोई vague सूचना प्रदान की जाये।

रामपाल सिंह

प्रभारी डाक अनुभाग

उप सचिव एव सी.पी.आई.ओ.(सी.आर.-१)